



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 14, 2013/माघ 25, 1934

No. 73]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 14, 2013/MAGHA 25, 1934

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 80(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 6-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को और आगे संशोधित करने हेतु निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस योजना का नाम कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2013 है।

(2) यह 26-9-2008 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

2. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में, पैराग्राफ 16 के उप-पैराग्राफ (5) के खंड (ख) में "पैराग्राफ 13 के उप पैराग्राफ (1) में यथा उपबंधित पूंजी की वापसी" शब्दों, अंकों और कोष्ठक के लिए "पैराग्राफ 14 में यथा उपबंधित आहरण लाभ" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. एस-65015/1/08/एसएस-II]

ए. सी. पाण्डेय, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण.—कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 748(अ), दिनांक 16 नवम्बर, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 745(अ), दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2013

G.S.R. 80(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6A read with sub-section (1) of Section 7 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 26-09-2008.

2. In the Employees' Pension Scheme, 1995, in clause(b) of sub-paragraph (5) of paragraph 16, for the words, figures and bracket "return of capital as provided in sub-paragraph (1) of paragraph 13", the words and figures "a withdrawal benefit as provided in paragraph 14" shall be substituted.

[F.No. S-65015/1/08/SS-II]

A. C. PANDEY, Jt. Secy.

Foot note.—The Employees' Pension Scheme, 1995 was published *vide* notification number G.S.R. 748(E), dated 16th November, 1995 and was lastly amended *vide* notification number G.S.R. 745(E), dated the 5th October, 2012.